राजस्थान सरकार

<u>नगरीय विकास एवं आवासन विभाग</u>

क्रमांकः–प.17(10)नविवि/ ।।/2019 **जयपुर, दिनांकः** 13 JAN 2025

<u>आदेश</u>

राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 14 के अनुलग्नक–ए (Annexure-A) के अंतर्गत प्राधिकरण/न्यास द्वारा भूखण्डों को नीलामी से विक्रय किये जाने का प्रावधान है। विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16.09.2019 द्वारा नियम 14 में इस हेतु संशोधन किये गये थे। कोविड–19 के दौरान, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01.05. 2020 द्वारा नीलामी के प्रकरणों में छूट/रियायत प्रदान की गयी थी।

चूंकि कोविड–19 अवधि समाप्त हो चुकी है, परन्तु नीलामी के प्रकरणों में कोविड–19 के दौरान जारी आदेशानुसार ही कार्यवाही की जा रही हैं जबकि विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16.09.2019 के अनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि कोविड–19 के दौरान, जारी आदेश दिनांक 01.05.2020 वर्तमान में प्रभावहीन होने से, राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के सुसंगत नियमों के अतर्गत/विभागीय अधिसूचना दिनांक 16.09.2019 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण।
7. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Vaibhav Galriya
Designation : Principal Secretary To Government
प्रमुख शासन सचिव
Date: 2025.01.[illegible]2:31:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12983332